रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 302] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 4, 2018/भाद्र 13, 1940
No. 302] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 4, 2018/BHADRA 13, 1940

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)
(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 2018

सं. 35/2015–2020

विषय: सीएक्सएल कोटा के तहत यूरोपीय संघ को तरजीही कोटा चीनी के निर्यात की मात्रा का आबंटन।

फा. सं. 01/91/180/879/एएम-08/निर्यात प्रकोष्ठ (खंड - VIII).—विदेश व्यापार नीति, 2015-2020 के पैराग्राफ 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार, एतद्वारा 01-10-2018 से 30-09-2019 की अवधि के लिए यूरोपीय संघ (ईयू) को सीएक्सएल रियायतों के तहत 10,000 टन (दस हजार टन) खांड और/या सफेद चीनी की मात्रा आबंटित करते हैं।

2. दिनांक 20.04.2015 की अधिसूचना सं. 3/2015-2020 के अनुसार सीएक्सएल कोटा के तहत यूरोपीय संघ को चीनी (एचएस कोड 17010000) का निर्यात तथा टीआरक्यू के तहत यूएसए को चीनी का निर्यात उपर्युक्त अधिसूचना में 'प्रतिबंधों का स्वरूप' में अधिसूचित शर्तों के अधीन 'मुक्त' है

3. दिनांक 25.09.2009 के यूरोपीय संघ विनियमन (ईसी) संख्या 891/2009 के अनुच्छेद-10 के अनुसार "आदेश सं. 09.4321 के तहत सीएक्सएल रियायती चीनी कोटे हेतु मुक्त वितरण के लिए यह रिलीज विनियमन (ईईसी) संख्या 2454/93 के अनुच्छेद-55 से 65 के अनुसार संबंधित तीसरे देश के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी उद्गम प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के अधीन होगी"। तदनुसार, निर्यात प्राधिकार दस्तावेज ईयूआर और जीएसपी में निम्नानुसार प्रविष्टियां की जानी हैं –

(i) सीएक्सएल रियायती चीनी

"[अनुसूची सीएक्सएल (यूरोपीय समुदाय) के तहत विनियमन (ईसी) सं. 891/2009 का अनुप्रयोग। सीएक्सएल रियायती चीनी क्रम सं. 09.4321]"

4. उपरोक्त पैरा 3 में दिए गए ब्यौरे के अनुसार उद्गम का प्रमाण-पत्र अपर महानिदेशक, विदेश व्यापार, मुम्बई द्वारा जारी किया जाएगा और ईयूआर प्रपत्र को सीमा शुल्क विभाग के द्वारा पोतलदान के पत्तन पर पृष्ठांकित किया जाएगा।

5. दिनांक 20.04.2015 की अधिसूचना सं. 3/2015-2020 के द्वारा यथा अधिसूचित रिपोर्टिंग शर्त का पालन किया जाना जारी रहेगा।

6. **इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव:**

दिनांक 01-10-2018 से 30.09.2019 तक सीएक्सएल कोटा के तहत यूरोपीय संघ को निर्यात की जाने वाली चीनी (खंड और/या सफेद चीनी) की मात्रा अधिसूचित की गई है ।

अलोक वर्धन चतुर्वेदी, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं

पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 4th September, 2018

No. 35/2015-2020

Subject: Allocation of quantity for export of preferential quota sugar to EU under CXL quota.

F.No. 01/91/180/879/AM08/Export Cell (Vol.VIII).—In exercise of the powers conferred under Paragraphs 2.04 of the Foreign Trade Policy, 2015-2020, the Director General of Foreign Trade hereby allocates a quantity of 10,000 tons (Ten thousand tons) of raw and/or white sugar under CXL concessions to European Union (EU) for the period 01.10.2018 to 30.09.2019.

2. As per Notification No. 3/2015-20 dated 20.04.2015, export of sugar (HS Code 17010000) to EU under CXL Quota and export of sugar to USA under TRQ is 'Free' subject to the conditions notified in the 'Nature of Restrictions' in the above notification.

3. As per Article 10 of European Union Regulation (EC) No. 891/2009 of 25.9.2009 "release for free circulation for the quotas of CXL concession sugar with Order No. 09.4321 shall be subject to the presentation of a Certificate of Origin issued by the competent authority of the third country concerned in accordance with Articles 55 to 65 of Regulation (EEC) No. 2454/93". Accordingly, the entries to be made in the export authorization document EUR and GSP are as follows:-

(i) CXL Concessions Sugar

"[Application of Regulation (EC) No. 891/2009 under Schedule CXL (European Communities). CXL Concessions Sugar Serial No. 09.4321]".

4. Certificate of Origin as per details given in para (3) above shall be issued by the Additional Director General of Foreign Trade, Mumbai and EUR Form is to be endorsed by Customs at the Port of Shipment.

5. The reporting requirement as notified vide Notification No. 3/2015-2020 dated 20.04.2015 would be continued to be followed.

6. **<u>Effect of this Public Notice:</u>**

The quantity of sugar (raw and/or white sugar) to be exported to EU under CXL Quota from 1.10.2018 to 30.09.2019 has been notified.

ALOK VARDHAN CHATURVEDI, Director General of Foreign Trade &
Ex-officio Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2018.09.07 09:50:35 +05'30'